e-ISSN:2582 - 7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 4, Issue 11, November 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 5.928

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com www.ijmrset.com

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

"विस्थापन और पुनर्वास" - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन - ओंकारेश्वर बांध के विशेष संदर्भ में

गजेंद्र कुमार मालवीया

सह आचार्य, समाजशास्त्र

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राजस्थान)

सार

पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन और प्रबंधन योजना रिपोर्ट (ईआईए और ईएमपी) का एक हिस्सा है एवं इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देते हुए मूल्यांकित की जाती है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन, 2003 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी-2007) के राष्ट्रीय नीति के आधार पर निष्पाद्राधीन परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए आर एण्ड आर योजना बनाई गई है। आर एण्ड आर योजना का प्रावधान नए एवं आगामी परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता एवं उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियन 2013 के अनुसार किया जाएगा जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है । परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि, क्षेत्र के अन्य हितधारकों एवं संबन्धित राज्य सरकार के सहयोग से आर एण्ड आर योजना कार्यान्वित किया जाता है। जो समाज, तरीके और साधन के व्यापक हित के लिए अपने संसाधनों का बलिदान किए है उनकी दुर्दशा को देखते हुए यह पता लगाया जाएगा और सामान्य रूप में अपने अधिकारों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लागू किया जाएगा, जो की यह संधारणीय विकास की दिशा में एक प्रयास के रूप में है। इस प्रक्रिया में, नीपको विभिन्न व्यवहार्य विकल्प की पड़ताल और विस्थापन या प्रतिकूल प्रभावों के कम से कम एक कारण का चयन करती है।

परिचय

आर एंड आर योजना तैयार करने से पहले इसलिए एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए किया गया, जिससे प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सेट-अप का आकलन किया जा सके। भविष्य में, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के अलावा, क्षेत्र के नृवंशविज्ञान पर अध्ययन के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर एक अलग अध्याय शामिल किया जाएगा। परियोजना के आर एंड आर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए, नीपको संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रशासक की अध्यक्षता में परियोजना हेतु आर&आर समिति का गठन किया, जिसमे परियोजना प्रमुख समिति के सदस्य सचिव के रूप में रहते है।ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पर खण्डवा के पास मान्धाता में निर्मित बांध है। इस बांध से थोड़ा ही आगे ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है।[1] इसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्ष २००३ से २००७ के मध्य किया गया था। इस बांध से सम्बद्ध ५२० मेगावाट क्षमता का एक जलविद्युत संयंत्र भी है जो बांध के आधार पर (नीचे) स्थित है।[2]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

ओंकारेश्वर बांध के पूरे 23 गेट खोले गए

ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना से 40 किमी अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में स्थित है । इस परियोजना में 949 मीटर लम्बा एवं 73 मीटर अधिकतम ऊँचाई वाला एक कांक्रीट बांध मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में मांधता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है । परियोजना से 1468 लाख हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित है। इस प्रकार इस परियोजना से 2833 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि में वार्षिक सिंचाई एवं 520 मेगावॉट (8 x 65 मेगावॉट) स्थापित क्षमता के विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) के संयुक्त उपक्रम नर्मदा जल विद्युत विकास निगम (एनएचड़ीसी) ने ओंकारेश्वर परियोजना के कार्यों को पूरण करने के कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं ।[3] युनिट-2 (नहरें) से सम्बन्धित कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाना है । परियोजना के यूनिट-1 एवं यूनिट-3 के कार्यों को नर्मदा जलविद्युत विकास निगम द्वारा ले लिए जाने के पश्चात इसमें आने वाली लागत के पूर्व प्राक्कलित राशि को संशोधित किया गया और तत्पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नवम्बर, 2002 के मूल्य स्तर के आधार पर अनुमानित लागत रू 2224.73 क़रोड़ आंकी है । ओंकारेश्वर परियोजना की जुलाई-2007 [4] मूल्य स्तर पर तथा यूनिट-2 (नहरें) की संशोधित लागत रू 2175.59 करोड़ आंकी गई है । इस परियोजना से कुल 98273 परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है, जिसमें से 7601 (8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग से, 39953 (40 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति वर्ग से तथा 50676 सामान्य वर्ग से हैं ।[5]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

ओंकारेश्वर बांध, यूनिट-1 एवं यूनिट-3 से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराने के लिए प्राप्त निविदाओं को फरवरी, 2003 में खोला गया था तथा उक्त कार्यों को मेसर्स जय प्रकाश वोइथ सीमेन्स कन्सोरटियम, नई दिल्ली को करने के लिए सुपुर्द कर दिए गए थे । टर्नकी आधार पर निष्पादन करने के लिए 18 जुलाई, 2003 को रू 1476.4 क़रोड़ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके पश्चात बाँध एवं विद्युत गृह बाँध, पेनस्टाक, पॉवर इनटेक, आवाही कुल्या वाहिका (हेड रेस चेनल), अंत्य कुल्या वाहिका (टेल रेस चेनल) एवं स्वीचयार्ड सहित मुख्य बाँध के सभी बृहत कार्य पूर्ण कर लिए गए थे ।[6]

खंडवा: पुनर्वास के लिए ओम्कारेश्वर बांध पर जल सत्याग्रह, सरकार से की ये मांगें

बाँध एवं विद्युत गृह में परिष्करण (फिनिशिंग) तथा विभिन्न वास्तुशिल्प के कार्य प्रगति पर है । बाँध के सभी 23 रेडियल गेट स्थापित किए जाने, क्रियाशील किए जाने और परीक्षण किए जाने के कार्य तथा स्टाप लॉग गेन्ट्री क्रेन को स्थापित किए जाने के कार्य पूरे कर लिए गए थे । विद्युत गृह के सभी आठों इनटेक फिक्सड व्हील गेट, आठ ड्राफ्ट टयूब गेट एवं बल्क हेडगेड के दो सेट, इनटेक गेन्ट्री क्रेन एवं ड्राफ्ट टयूब गेन्ट्री केन के कार्य पूरे कर लिए गए थे।[7] सभी आठों यूनिट पर इलेक्ट्रो-मेकेनिकल के कार्यों में स्पायरल केसिंग क्रांक्रीटिंग, पिट फ्री, बस डक्ट को स्थापित किए जाने के कार्य, जनरेटर ट्रांसफार्मर पिट एवं स्वीचयार्ड में स्टेटर स्टेकिंग और वान्डिंग आदि के कार्य पूरे कर लिए गए थे । कार्य पूर्ण करने के पश्चात सभी युनिटों को 20 अगस्त, 2007 से 15 नवम्बर की अवधि में चालू करके यूनिट-1 से 8 तक की यूनिटों से बिजली उत्पन्न करना आरम्भ कर लिया गया । कुल लगभग 5960 परिवारों के प्रभावित होने की आशा है, जिसमें से मार्च, 2009 तक 3227 परिवारों का पुनर्वास पूर्ण किया जा चुका है तथा 2733 परिवारों (अंतिम सर्वेक्षण पर उक्त संख्या परिवर्तनीय) का पुनर्वास किया जाना अभी शेष है ।[8]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

ओंकारेश्वर पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल की जानकरी

बाँध विद्युत गृह के कार्य एवं गेटो को स्थापित कर लिए जाने के बावजूद जलाशय को इसके पूर्ण जलाशय स्तर 19660 मीटर तक नहीं भरा जा सकता । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11 जून, 2007 को दिए अपने आदेश से माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर (मप्र) ख़ण्डपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी और तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर (मप्र) ख़ण्डपीठ ने दिनांक 17 अगस्त, 2007 को ओंकारेश्वर जलाशय को 189 मीटर के जलाशय स्तर पर रखने के आदेश दिए, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पादन की यूनिटों को चालू किया जा सका तथा अगस्त, 2007 से विद्युत ऊर्जा का आंशिक उत्पादन आरम्भ हो गया ।[9]

मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर ने ओंकारेश्वर जलाशय को आगे 189 मीटर के जलाशय स्तर पर बनाए रखने के आदेश दिए । मार्च, 2009 तक परियोजना से कुल 150182 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की गई, जिसमें से वर्ष 2008-09 के दौरान निर्धारित किए 72574 क़रोड़ व्यय किए जा चुके हैं, जिसमें से वर्ष 2008-09 के दौरान यूनिट-1 (बाँध) एवं यूनिट-3 (विद्युत) पर रू 2224.44 क़रोड़ व्यय किए गए ।[10]

ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में सरकार को आदेश दिया है कि वह विस्थापितों की इच्छानुसार उन्हें खेती योग्य जमीन दे या मुआवजे व पैकेज पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाए। यह काम सरकार को तीन महीने में करना होगा। विस्थापितों ने कहा है कि इसके साथ ही वे 28 मार्च को भोपाल में सरकार को पुनर्वास-विस्थापन की अन्य मांगों से भी अवगत करवाने जा रहे हैं।[11]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

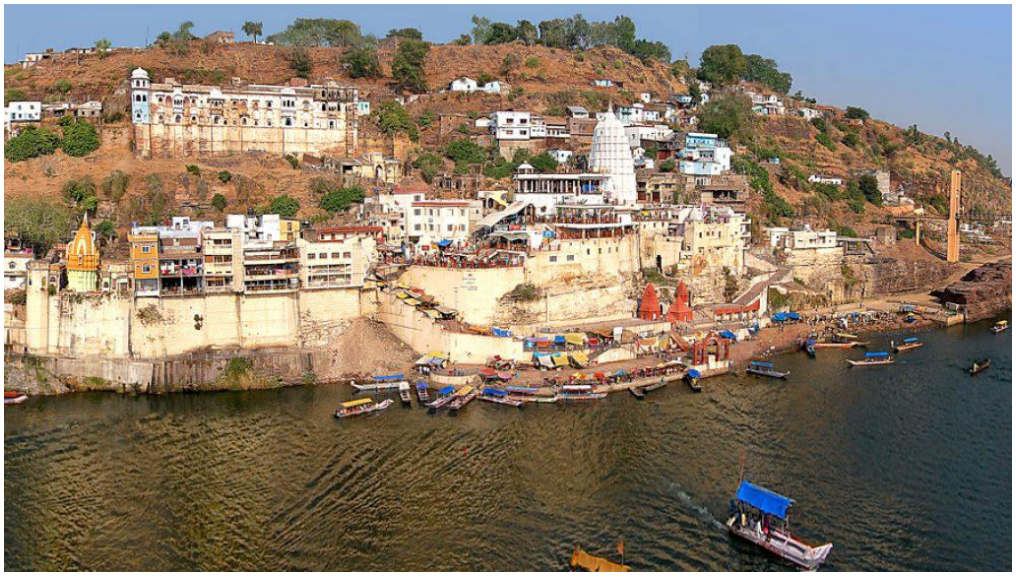

ओंकारेश्वर मांधाता | जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन | भारत

मंगलवार को यहां नर्मदा आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल ने फैसले के संदर्भ में मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विस्थापित यदि मुआवजा और विशेष पैकेज का विकल्प चुनता है तो सरकार को मुआवजे और पैकेज पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत ब्याज देना होगा। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर बांध विस्थापित 12 साल से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2008 में मप्र उच्च न्यायालय ने विस्थापितों को जमीन देने का आदेश दिया लेकिन सरकार ने फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: जमीन देने का आदेश दिया और इस मामले में शिकायत निवारण प्राधिकरण में जाने को कहा।[12]

2300 विस्थापितों की याचिका पर शिकायत निवारण प्राधिकरण ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार ने पुनर्वास नीति का पालन नहीं किया है और यदि विस्थापित उसे दिए मुआवजे का आधा और विशेष पुनर्वास अनुदान वापस करता है तो उसे जमीन दी जाएगी। इसके बाद 700 विस्थापितों द्वारा पैसा वापस करने के बावजूद सरकार ने मात्र 200 विस्थापितों को जमीन दिखाई जो कि बंजर और अतिक्रमित थी।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

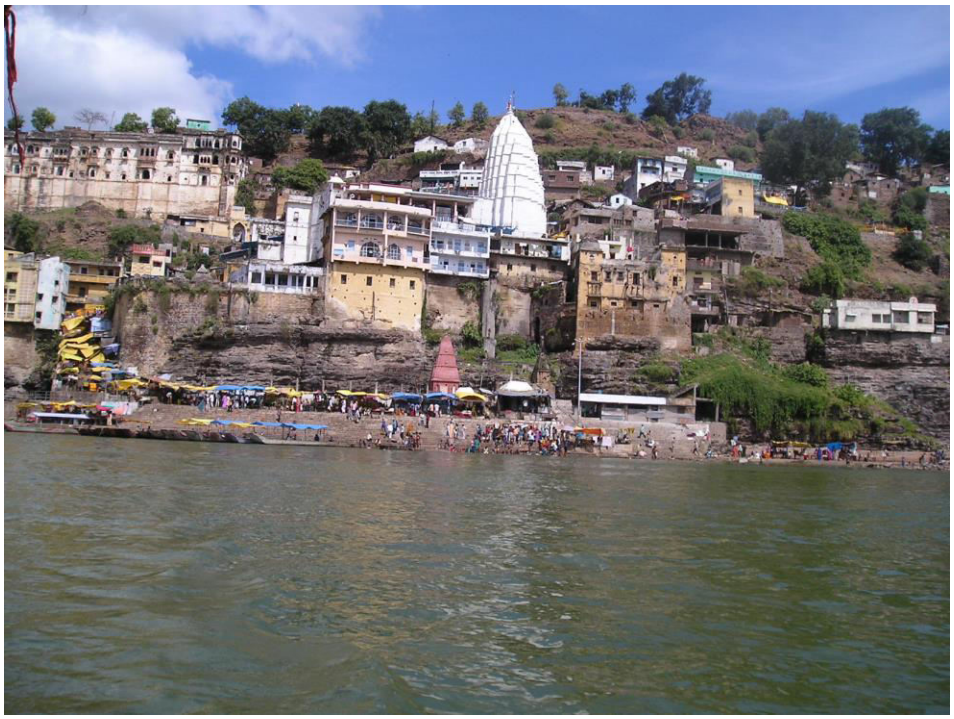

ओंकारेश्वर मन्दिर

इस पर उन्होंने जमीन लेने से इंकार कर दिया। इन 700 में से 300 से अधिक विस्थापित हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आते हैं।2012 में सरकार ने ओंकारेश्वर बांध में दो मीटर पानी बढ़ा दिया। इसके खिलाफ नर्मदा आंदोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता चित्तरूपा पालित और विस्थापितों ने ग्राम घोघलगांव में 17 दिन जल सत्याग्रह किया था, बाद सरकार को पानी कम करना पड़ा। तीन मंत्रियों की समिति बनाई और उसकी अनुशंसा पर 7 जून 2013 को 225 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। इसके बाद 2015 में पुन: आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल और विस्थापितों ने 32 दिन जल सत्याग्रह किया। यह पैकेज छोटे व हरिजन/आदिवासी किसानों के लिए पुनर्वास नीति व सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुरूप नहीं था। सरकार खराब जमीन दिखाकर विस्थापितों को मजबूर कर रही थी, इस वजह से नर्मदा आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका पर 13 मार्च के अपने फैसले में न्यायालय ने उक्त आदेश दिया है।[13]

अवलोकन

बांध बड़े होते हैं, उनकी जलराशि भी विशाल होती है। बड़े फायदे के लिए ये बनाए जाते हैं इसलिए इनसे शिकायतें छोटी कैसे हो सकती हैं? कम से कम नर्मदा घाटी के बांध तो यही कहते हैं। बांध की वजह से विस्थापित होने वाले लोग दशकों बाद भी इसकी टीस से उबर नहीं पा रहे हैं। हर बारिश में बांध का बैकवाटर जब कई खाली हो चुके या अपूर्ण विस्थापित गांवों में घुसता है तो विस्थापित लोगों के दर्द के सागर में हिलोरें बढ़ जाती हैं। जमीन छोड़ने, पुनर्वास आदि की कहानियों को शुरू हुए अब तीन दशक पूरा हो रहा है। अब इनके हालात देखकर तो दर्द और शिकायतों की इस कहानी का अंत निकट भविष्य में नहीं दिखाई देता, ठीक बांध में जमा पानी की तरह। [14]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

अपने आरंभ से ही एनटीपीसी एक प्रतिबद्ध तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन रहा है तथा इसने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के कल्याण के लिए विशिष्ट मार्गदिशानिर्देश निरूपित किए हैं। यह पीएपी के मुद्दे का निवारण करने के लिए व्यापक पुनर्वास तथा पुनरुद्धार नीति का निरूपित करने वाली कारपोरेट क्षेत्र की पहली कंपनियों में से एक है। अपने सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप कंपनी ने पीएपी के प्रभावी पुनर्वास तथा पुनरुद्धार (आर एंड आर) पर संकेन्द्रण किया है तथा परियोजनाओं में तथा इनके आसपास समुदाय विकास निर्माण कार्यों में भी संकेन्द्रण किया है।[15]

- एनटीपीसी ने "1980 में 'भूमि निष्कासितों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी नीति. का निरूपण किया है। एनटीपीसी की प्रथम पीढी की परियोजनाओं को इस नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गई।

- एनटीपीसी द्वारा मई 1993 में एक व्यापक आर एंड आर नीति निरूपित की गई जिसे भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया गया तथा विश्व बैंक एनटीपीसी आर एंड आर नीति 1993 का निरूपण भी किया गया।परियोजनाओं की सूची जहां आर एंड आर पर इस नीति के अनुसार ध्यान दिया गया है ।
- आर एंड आर के क्षेत्र में सीखी गई बातों, एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित अच्छी पद्धतियों, भावी कार्य नीतियों तथा पुनर्वास एवं पुनरुद्धार संबंधी भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति (एमपीआरआर) 2003 के साथ संरेखन के आधार पर एनटीपीसी ने अपनी आर एंड आर नीति को जून, 2005 में संशोधित करके एनटीपीसी आर एंड आर नीति 2005 निरूपित की। परियोजनाओं की सूची जहां आर एंड आर पर इस नीति के अनुसार ध्यान दिया गया है।
- अपनी संभावी हरित क्षेत्र/विस्तार परियोजनाओं के अन्वेषणात्मक चरण पर सामाजिक मुद्दों का निवारण करने के लिए तथा कंपनी की सकारात्माक छवि के निर्माण द्वारा ऐसी परियोजनाओं से जुडी स्थानीय जनता का विश्वास जीतने के लिए एनटीपीसी अपनी आरंभिक समुदाय विकास (आईसीसडी) नीति 2009' के अनुरूप कार्य आरंभ करके क्षेत्र में प्रविष्ट होता है। इसके तुरंत पश्चात भूमि तथा जल प्रतिबद्धताएं परियोजना की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्ती होती है। उन परियोजनाओं की सूची जहां आईसीडी योजना निरूपित की गई है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनरुद्धार नीति 2007(एनआरआरपी-07) की उद्घोषणा के मद्देनजर, अपनी सीखी हुई बातों के प्रतिधारण तथा आर एंड आर मुद्दों के निवारण हेतु सुसंरचित प्रक्रम द्वारा एवं एनआरआरपी-07 के प्रावधानों के साथ संरेखण द्वारा एनटीपीसी ने अपनी आर एंड आर नीति 03.06.2010 को संशोधित कर दी है।[16]

  एनटीपीसी अपनी आर एंड आर नीति के अनुसार आर एंड आर मुद्दों का निवारण इस उद्देश्य के साथ करता है कि एक युक्तिसंगत संक्रमण अवधि के पश्चात, प्रभावित परिवारों में सुधार हो सके अथवा वे कम से कम अपने पूर्व जीवन स्तर, अर्जन क्षमता तथा उत्पादन स्तरों को हासिल कर सके। नीति के अनुसार, एक ब्यौरेवार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (एसईएस) का संचालन एक व्यावसायिक अभिकरण द्वारा किया जाता है ताकि संभावी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का एक आधार रेखा डाटा तैयार किया जा सके। इसके पश्चात ग्राम विकास परामर्शी समिति (वीडीएसी) जिसमें पीएपी, ग्राम पंचायतों, एनटीपीसी तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, में पधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के पश्चात 'पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना' (आर एंड आर योजना) का निरूपण किया जाता है। आर एंड आर योजना में पुनर्वास, पुनरुद्धार तथा समुदाय विकास मुद्दों के लिए उपाय शामिल होते हैं।आर एंड आर क्रियान्वयन के दौरान पारदर्शिता का अनुरक्षण करने के लिए 'जन सूचना केंद्र (पीआईसी) की स्थापना आर एंड आर संबंधित सूचना का प्रसार करने तथा शिकायत निवारण के लिए की जाती है। समाज शास्त्रियों की नियुक्ति परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के साथ व्यापक अंत:क्रिया हासिल करने के लिए की जाती है।आर एंड आर योजना की पूर्ति पर एक 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईई)' का संचालन एक व्यावसायिक अभिकरण के माध्यम से भावी अधिगम हेतु आरएपी क्रियान्वयन की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आर एंड आर योजना के पूर्ण होने के पश्चात्, आवश्यकता आधारित समुदाय विकास क्रियाकलापों का किया जाना

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

एनटीपीसी के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समुदाय विकास नीति (सीएसआर-सीडी) नीति के तहत परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में किया जाना जारी है।[17]

भारत सरकार की आर एंड आर नीति की उद्घोषणा के पश्चात, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत सरकार की नीति के प्रावधानों का अनुपालन परियोजनाओं में आर एंड आर मुद्दों का निवारण करते समय किया जाए।

राज्य सरकार की आर एंड आर नीति, राज्य विशिष्टय तथा सरकारी नीतिगत निर्देश, जिनमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तें शामिल है, परियोजना विशिष्ट पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना (आर एंड आर योजना) का निरूपण करते समय विचार में लिए जाते हैं।

विचार – विमर्श

जल सत्याग्रह के ग्यारहवें दिन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास आयुक्त व एनएचडीसी के मुख्य महाप्रबंधक पवन शर्मा सत्याग्रह स्थल डूब ग्राम कामनखेड़ा में सोमवार को पहुंचे। उन्होंने सत्याग्रहियों की मांगें मानने के साथ ही जल सत्याग्रह खत्म करने की बात कही। वहीं नर्मदा आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल ने पुनर्वास आयुक्त को बांध के डूब क्षेत्र में बन रही स्थितियों के संबंध में जानकारी दी। बांध का जलस्तर कम कराने की मांग रखी। इस दौरान पानी के किनारे पर बैठे अधिकारियों और पानी में खड़े सत्याग्रहियों के बीच करीब तीन घंटे तक मांगों पर चर्चा चली। इसमें शासन ने सत्याग्रहियों की पांच मांगें मान ली, लेकिन देर शाम तक छठवीं मांग ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर कम करने पर सहमति नहीं बन सकी। पुनर्वास आयुक्त ने कहा बांध का जलस्तर करने का निर्णय मैं नहीं ले सकता। यह शासन स्तर पर होगा। इस पर सत्याग्रहियों ने जल सत्याग्रह जारी रखने का एलान किया। उन्होंने कहा शासन जब तक हमारी पूरे मांगें नहीं मनानेगा तब तक जल सत्याग्रह जारी रहेगा। उनकी बात सुन अधिकारी लौट गए।[18]

जल सत्याग्रह

जल सत्याग्रह स्थल पर सोमवार दोपहर करीब 12.30 बजे पुनर्वास आयुक्त शर्मा के साथ एनएचडीसी के उप महाप्रबंधक शरद जयकार, सहायक संचालक उल्हास पाटंकर और एसडीएम ममता खेड़े पहुंची। उन्हें देख मौके पर डूब प्रभावितों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों ने पानी के किनारे खड़े होकर माइक की मदद से सत्याग्रहियों से बातचीत की। उनकी मांगें सुनी और प्रमुख पांच मांगें मानने की सहमति जताई। वहीं बांध का जलस्तर कम करने की मांग पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में दोपहर करीब 2 बजे अधिकारी मौके से चले गए। इसके बाद शाम करीब 4.30 बजे दोबारा अधिकारी सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और सत्याग्रहियों को समझाइश दी। विस्थापन और पुनर्वास पूर्ण रूप

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

से कराने का आश्वासन दिया। प्रभावितों का सामान नाव की मदद से शिफ्ट कराने की बात कही। लेकिन सत्याग्रही जलस्तर कम करने की मांग पर अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो शाम करीब 6 बजे अधिकारी लौट गए।

-ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के लिए धामनोद, निमरानी पुनर्वास स्थल पर 500 प्लाट विकसित किए जाएंगे। सभी पात्र परिवारों को प्लाट तत्काल आवंटित होंगे।
-राज्य शासन के आदेशानुसार पात्र परिवारों को दी जाने वाली 50 हजार की राशि में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाएगा।

-ग्राम कोथमीर, धारड़ी, गुवाड़ी, नयापुरा, नरसिंहपुरा, एखंड, देगावां आदि ग्रामों की टापू बनने वाली जमीनों का परीक्षण कर भू-अर्जन या रास्ता बनाने के विषय में उचित निर्णय लिया जाएगा।
-भू-अर्जन व पुनर्वास के शेष रह गए सभी कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा।
-भू-अर्जन व पुनर्वास के कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्य महाप्रबंधक एनएचडीसी रोजाना कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगामी छह सप्ताह में इसे पूरा करना सुनिश्चित होगा।पूरी क्षमता 196.6 मीटर तक भरा बांध

ओंकारेश्वर बांध पूरी क्षमता 196.6 मीटर सोमवार को भर गया। बांध भरने से डूब ग्रामों में बैकवाटर का जलस्तर बढ़ा है। इससे कुछ ग्रामों की रास्ते बंद हो गए हैं। नावों की मदद से प्रशासन डूब प्रभावितों का सामान शिफ्ट करा रहा है। प्रशासन की मानें तो बांध पूरी तरह भर चुका है। वहीं डूब में आने वाले सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इधर, विस्थापितों का कहना है ग्राम कामनखेड़ा, घोघलगांव, एखंड आदि डूब ग्रामों में सभी घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में घरों को तोड़कर सामान ले जाना संभव नहीं है। स्थितियां देखते हुए शासन को बांध का जलस्तर कम करना चाहिए। ताकि प्रभावित पूरी तरह अपना सामान ले जा सकें।[19]

परिणाम

ओंकारेश्वर बांध में पानी के स्तर को कम करने की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता आलोक अग्रवाल समेत नौ विस्थापितों ने नर्मदा में जल सत्याग्रह की शुरुआत की। सभी शुक्रवार से ही कमर तक पानी में खड़े हैं और उनकी मांग है कि इलाके में रहने वाले 2000 परिवारों को बचाने के लिए बांध के जलस्तर में कमी करनी की जरूरत है। अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि हमारा विरोध तभी खत्म होगा, जब बांध का पानी कम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 21 अक्तूबर से बांध का जलस्तर बढ़ाना शुरू किया था, जिससे इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस कदम से करीब दो हजार परिवार प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बांध का जलस्तर तभी बढ़ाया जा सकता है, जब आसपास में रहने वालों को पूरी तरह पुनर्वासित किया जा चुका हो।

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डांग ने कहा कि 600 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनाई जाएगी। यहां वर्ष 2022-2023 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। सौर परियोजना में अनुमानित निवेश रु 3,000 करोड़ का होगा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और पावर ग्रिड ने भी परियोजना के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।मध्य प्रदेश में परियोजना की प्राथमिक व्यवहार्यता विश्व बैंक के सहयोग से पहले ही हो चुकी है और वर्ष 2022-2023 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।[18]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

निष्कर्ष

जनवरी 2021 में पॉवर ग्रिड द्वारा परियोजना क्षेत्र से खंडवा सबस्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन मार्ग सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के विस्तृत अध्ययन के लिए निविदा भी जारी की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने सौर परियोजना से 400 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए अपनी सहमति दी है। इसमें ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के साथ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पैनल होंगे। अनुमान के अनुसार, 2 वर्षों में, सौर परियोजना सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की शक्ति प्रदान करने में सक्षम होगी। बिजली का उत्पादन लगभग 2000- हेक्टेयर जल क्षेत्र में होगा। यह बांध में सौर पैनल स्थापित करके किया जाएगा। ये पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरेंगे। जब बांध का जल स्तर कम होता है, तो सौर पैनल अपने आप ही ऊपर और डाउनलोड को समायोजित कर देंगे और बाढ़ और मजबूत लहरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरज की किरणें बिजली पैदा करती रहेंगी।[19]

भारत में औद्योगिक विकास की गति तीव्र होने से नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप कृषि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। कई परिवारों को विस्थापित भी किया जाता रहा है। विस्थापन से कई संयुक्त परिवार टूट जाते हैं, सामाजिक तानाबाना प्रभावित होता है, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ धर्मिक जीवन भी प्रभावित होता है, तथा व्यवसाय भी परिवर्तित होते हैं। विस्थापन से विस्थापितों की जनांकिकीय प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। प्रजननता, मृत्युक्रम, प्रवास, रूग्णता दर एवं विवाह दर प्रभावित होती है। भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। पर्याप्त मुआवजे के अभाव में व्यक्ति का सही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नहीं हो पाता है। विस्थापितों की प्रमुख समस्या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की है। आर्थिक अवनति के साथ-साथ उनकी मानसिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षति भी होती है। विस्थापन, पुनर्वास की सभी समस्याएँ विकास के वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में देखी जा सकती हैं जिसमे समाज के गरीब एवं अक्षम वर्गों की पीड़ाओं को ध्यान मे नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप पूरा ध्यान परियोजनाओं की आर्थिक निरंतरता पर केन्द्रित होकर रह गया है। देश मे एक सामाजिक नीति का अभाव है और पुनर्वास की नीति एवं कानून का अभाव भी इसी मानसिकता का परिचायक हैं। प्रस्तुत शोध् में विकास, विस्थापन के साथ विस्थापन से विस्थापितों के जनांकिकीय आयामों को भी देखा गया है। इनको व्यष्टि जनांकिकी के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, साथ ही जनांकिकीय प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए जनांकिकीय आयामों को व्यष्टि जनांकिकी के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक से समष्टि जनांकिकीय शोध को आगे विकसित करने में सहायता मिलेगी, जिससे नगरीय विकास एवं भूमि अधिग्रहण से विस्थापितों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हो सकेगा, तथा सुनियोजित नगरीय विकास मानवीयता के साथ होगा। [19]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1) प्रभाव को समझना। क्रिस्टोफर मैकडॉवेल 2005 आईएसबीएन 978-1-57181-916-1 <द्वारा विकास-प्रेरित विस्थापन का परिणाम। 92>विकास-प्रेरित विस्थापन: क्रिस डी वेट 2005 978-1-84545-095-3
2) विकास-प्रेरित विस्थापन: क्रिस डे वेट द्वारा संपादित समस्याएं, नीतियां और लोग। परिणाम, और सामाजिक-कानूनी संदर्भ बोगुमिल टर्मिस्की, 2015। आईएसबीएन 978-3-83826-723-4
3) विकास-प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास: बोगुमिल द्वारा संकलित एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची टर्मिस्की, जिनेवा, 2013.
4) विस्थापन और पुनर्वास पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, http://www.displacement.net। 2014Wikipedia site:wikicareer.in
5) "क्या भारत बंद गुरुवार को मुंबई बंद कर देगा?" . एनडीटीवी । 28 मई 2012 । 30 मई 2012 को लिया गया ।
6) "भारत बंद पर बेंगलुरु बंद करने के लिए" । डेक्कन क्रॉनिकल । 30 मई 2012 को लिया गया ।
7) "यूपीए के पेट्रोल बम के खिलाफ 31 मई को भारत बंद" । याहू न्यूज । 30 मई 2012 को लिया गया ।
8) ए बी पहले हर्जाना भुगतान करें, अदालत पार्टियों को बताती है ; द हिंदू , शनिवार, 17 सितंबर 2005

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 5.928|

| Volume 4, Issue 11, November 2021 |

|DOI:10.15680/IJMRSET.2021.0411009 |

9) "एससी ने केरल एचसी के आदेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश का पालन किया" । बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया । 13 नवंबर 1997 - बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से।
10) कांग्रेस ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान 18 अगस्त तक किया । इंडियन एक्सप्रेस (11 अगस्त 2015)। 2017-06-19 को लिया गया।
11) भारत बंद पूरे देश में सामान्य जनजीवन को प्रभावित करता है । इंडियन एक्सप्रेस (5 जुलाई 2010)। 2017-06-19 को लिया गया।
12) मैलेट, विक्टर (20 सितंबर 2012)। "सुधार योजनाओं पर भारतीयों की आवाज का गुस्सा" । फाइनेंशियल टाइम्स । 24 सितंबर 2012 को लिया गया ।
13) "प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद फिर से संचार, संचार की पुन: संचार" । एनडीटीवी इंडिया ।
14) "मुंबई में काम करने वाले विकार के मामले में, रेल सेवा की किस्म" । एनडीटीवी इंडिया ।
15) "कोरे हवेली: डाईट का आज महाराष्ट्र बंद" . बीबीसी समाचार हिंदी ।
16) "महाराष्ट्र बंद: मुंबई में हमला पर हमला, नागपुर और पुणे में स्थिति" । thewirehindi.com . 3 जनवरी 2018।
17) त्रिपाठी, अविनाश (27 मार्च 2018)। "महाराष्ट्र: प्रकाश अंबेडकर ने पौष्टिक को ऑल्टीमाताम- भीमा-कोरेगांव हिंसा के लिए मुख्य संभाजी बिहिदे को रेटिंग दी । इंडिया टीवी हिंदी ।
18) "तेलुगु स्टेट्स लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज हेडलाइंस, लाइव अपडेट्स, टुडे टॉप न्यूज" ।
19) "आंबेडकरी संघटनांचा महाराष्ट्र बंद मागे; प्रकाश आंबेडकरांची घोषणा" । 3 जनवरी 2018।

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 5.928

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

9710 583 466 9710 583 466 ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com